

जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जनपद हरदोई में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की प्रगति समीक्षा एवं विकास खण्ड सुरसा की हरदोई देहात ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत 06 मजदूरों के पेयजल सम्बन्धी कार्यों को ड्रॉप किए जाने एवं अन्य तत्सम्बन्धी कार्यों की संस्तुति/स्वीकृति पर निर्णय लिये जाने हेतु शासन द्वारा गठित समिति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक दिनांक 05.08.2024 का कार्यवृत्त।

दिनांक 05.08.2024 को श्री मंगला प्रसाद सिंह, जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, हरदोई की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित रहे-

1. जिलाधिकारी, हरदोई।	अध्यक्ष।
2. मुख्य विकास अधिकारी, हरदोई।	सदस्य।
3. जिला विकास अधिकारी, हरदोई।	सदस्य।
4. जिला समाजिक एवं वानिकी प्रभारी, हरदोई।	सदस्य।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई।	सदस्य।
6. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई।	सदस्य।
7. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, हरदोई।	सदस्य।
8. जिला कृषि अधिकारी, हरदोई।	सदस्य।
9. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, हरदोई।	सदस्य।
10. सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, हरदोई।	सदस्य।
11. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हरदोई।	सदस्य सचिव

इसके अतिरिक्त समीक्षा बैठक में सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), परियोजना प्रबंधक, कलस्टर हेड एन०सी०सी० लिमिटेड हरदोई एवं जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (डी०पी०एम०यू०) के सदस्य भी उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नवत् निर्देश दिये गये-

1- जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा

- समीक्षा बैठक में उपस्थित अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), हरदोई द्वारा विकास खण्डवार सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ताओं के जल जीवन मिशन के तहत कराए जा रहे क्रियाशील पेयजल गृह संयोजन (FIITC) के कार्यों का प्रगति विवरण प्रस्तुत किया गया। विवरण के अवलोकन से ज्ञात हुआ की फेज-2 की योजनाओं के सभी ग्राम पंचायतों में क्रियाशील पेयजल गृह संयोजन (FIITC) का कार्य शत-प्रतिशत किया जा चुका है एवं फेज-3 की योजनाओं के 12 विकासखंडों (टोडरपुर, हरियावां, पिहानी, भरखनी, शाहाबाद, साण्डी, बावन, हरपालपुर, मल्लावां, टडियावां, माधौगंज, बिलग्राम) में एफ०एच०टी०सी० की प्रगति 90% से 99% तक पूर्ण, 03 विकास खण्डों (बेहन्दर, सण्डीला, कछौना) में एफ०एच०टी०सी० की प्रगति 80% से 89% तक पूर्ण, 02 विकास खण्ड (कोथावां एवं सुरसा) में एफ०एच०टी०सी० की प्रगति 76% से 77% तक पूर्ण एवं 02 विकास खण्ड (अहिरोरी एवं भरावन) में एफ०एच०टी०सी० की प्रगति 71% से 75% तक पूर्ण पायी गयी। बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था एन०सी०सी० के परियोजना प्रबंधक व संबन्धित अवर अभियन्ताओं को निर्देशित किया गया कि 12 विकासखंड (टोडरपुर, हरियावां, पिहानी, भरखनी, शाहाबाद, साण्डी, बावन, हरपालपुर, मल्लावां, टडियावां, माधौगंज, बिलग्राम) जिनमें एफ०एच०टी०सी० के कार्य 90% से 99% तक पूर्ण हो चुके हैं उनमें दिनांक 15.08.2024 तक, 03 विकास खण्डों (बेहन्दर, सण्डीला, कछौना) में एफ०एच०टी०सी० के कार्य 80% से 89% तक पूर्ण हो चुके हैं उनमें दिनांक 31.08.2024 तक, 02 विकास खण्ड (कोथावां एवं सुरसा) जिनमें एफ०एच०टी०सी० के कार्य 76% से 77% तक पूर्ण हो चुके हैं उनमें दिनांक 15.09.2024 तक एवं 02 विकास खण्ड (अहिरोरी एवं भरावन) जिनमें एफ०एच०टी०सी० के कार्य 71% से 75% तक पूर्ण

हो चुके हैं, उनमें दिनांक 30.09.2024 तक शतप्रतिशत एफ0एच0टी0सी0 के कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही- सहा0अभि0/अवर अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), परियोजना प्रबन्धक एन0सी0सी0 लि0 समस्त कलस्टर हेड हरदोई।)

- समीक्षा बैठक में उपस्थित परियोजना प्रबन्धक एन0सी0सी0, समस्त सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि 100% एफ0एच0टी0सी0 वाले राजस्व ग्रामों में अभियान चलाकर शतप्रतिशत सड़क पुनर्स्थापना का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही- परियोजना प्रबन्धक एन0सी0सी0 लि0 हरदोई।)

2- जनपद हरदोई के विकास खण्ड सुरसा की हरदोई देहात ग्रामीण पेयजल योजना के सम्बन्ध में।

- अधिशारी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद हरदोई में कुल 834 नग ग्रामीण पाईप पेयजल योजनाएँ (1865 राजस्व ग्राम सम्मिलित) राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति से स्वीकृत है जिसमें फेज-1। में 225 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं (397 राजस्व ग्राम सम्मिलित) के लिए निःशुल्क भूमि प्राप्त कर निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं एवं शेष 609 नग ग्रामीण पाईप पेयजल योजनाओं (1468 राजस्व ग्राम सम्मिलित) के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि प्राप्त करने के लिए जिलाधिकारी महोदय के पत्र सं0 964/का-73/03 दिनांक 25.05.2022 द्वारा समस्त उप जिलाधिकारी जनपद हरदोई को निर्देशित किया गया, जिसमें विकास खण्ड सुरसा की हरदोई देहात ग्रामीण पेयजल योजना भी सम्मिलित है। आपके के पत्र सं0 183/डब्ल्यू0-335/टेक/जे0जे0एम0/एस0एल0एस0एस0सी0-38वीं/2023-24 दिनांक 17.04.2023 द्वारा हरदोई देहात ग्रामीण पेयजल योजना दिनांक 13.04.2023 को राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (SLSSC) से स्वीकृत प्राप्त है। हरदोई देहात ग्रामीण पाईप पेयजल योजना के निर्माण हेतु अधिशारी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), हरदोई ने अपने पत्र सं0 1358/का-73/201 दिनांक 11.05.2023 द्वारा उप जिलाधिकारी सदर हरदोई से निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। हरदोई देहात ग्रामीण पाईप पेयजल योजना के अन्तर्गत 01 ग्राम पंचायत (हरदोई देहात), 01 राजस्व ग्राम (हरदोई देहात) एवं 17 मजरे क्रमशः मन्नापुरवा, धन्नुपुरवा, कन्हापुरवा, प्रेमनगर, गुरुगुज्जा, राधा नगर, शंकरवक्शपुरवा, गंगावक्शपुरवा, बख्तावरपुरवा, विभूति नगर, दिल्लरपुरवा, आशा नगर, अब्दुलपुरवा, रत्नेपुरवा, आजाद नगर, इबरापुरवा एवं चैत्तापुरवा सम्मिलित है। अधिशारी अभियन्ता/सदरय सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति हरदोई द्वारा अवगत कराया गया कि हरदोई देहात ग्रामीण पाईप पेयजल योजना के अन्तर्गत आने वाले समस्त मजरों को पेयजल योजना से आकाधिकार करने हेतु प्रारम्भ में 10 जोन बनाये गये थे जिसके अन्तर्गत 10 अवर जलाशय, 10 नलकूप एवं अन्य तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित है किन्तु पेयजल योजना के क्रियान्वयन के समय सम्पूर्ण हरदोई देहात ग्राम पंचायत के समस्त मजरे नगर पालिका पारंपद हरदोई की सीमा से विलकुल सटे होने के कारण पेयजल योजना निर्माण हेतु आवश्यक भूमि के चिन्हांकन में कठिनाई उत्पन्न हुई जिसके फलस्वरूप हरदोई देहात ग्रामीण पाईप पेयजल योजना को 10 जोन के स्थान पर 04 जोन में विभक्त किया गया जिसमें कुल 10 नलकूप प्रस्तावित है। जिलाधिकारी महोदय के पत्र के अनुपालन में उप जिलाधिकारी सदर, जनपद हरदोई ने अपने पत्र सं0 91/स0का0- भू0अधि0/जल जीवन मिशन/2023 दिनांक 27.09.2023 एवं 93/स0का0- भू0अधि0/जल जीवन मिशन/2024 दिनांक 12.02.2024 द्वारा उक्त योजनाओं के निर्माण हेतु 09 स्थलों पर निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी गयी है। जिसमें से जोन सं0 01 एवं जोन सं0 02 हेतु 05 स्थलों पर उपलब्ध करायी गयी भूमि पर पेयजल योजना सम्बन्धी निर्माण कार्य कराया जा सकता है एवं जोन सं0 03 एवं जोन सं0 04 के लिए कुल 05 में से 04 नग निःशुल्क प्राप्त भूमि मानक के अनुरूप न होने के कारण पेयजल योजना का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है जिसके फलस्वरूप जिलाधिकारी महोदय ने पत्र सं0 404/का-73/55 दिनांक 02.02.2024 द्वारा जोन सं0 03 एवं जोन सं0 04 के लिए मानकोनुरूप अन्य निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। तत्क्रम में उप जिलाधिकारी सदर जनपद

हरदोई ने अपने पत्र सं० 1096/२०का०-भू०अधि०/जल जीवन मिशन/2024 दिनांक 09.07.2024 द्वारा जोन सं० 03 एवं जोन सं० 04 में निर्माण कार्य हेतु मानक के अनुरूप भूमि उपलब्ध नहीं है, सम्बन्धी तथ्य से अवगत कराया है। ऐसी स्थिति में भूमि के अभाव में हरदोई देहात ग्रामीण पाईप पेयजल योजना अन्तर्गत जोन-3 एवं 04 में प्रस्तावित कार्यों को कराया जाना सम्भव नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत हरदोई देहात नगर पालिका परिषद हरदोई से बिल्कुल लगा हुआ है तथा इसके अधिकांश मजरे नगर पालिका परिषद हरदोई द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं एवं किसी भी प्रकार का उन्हें पेयजल संकट नहीं है। हरदोई देहात ग्रामीण पाईप पेयजल योजना के अन्तर्गत जोन सं० 03 एवं जोन सं० 04 में सम्मिलित मजरे क्रमशः आशा नगर, अब्दुलपुरवा, रद्धेपुरवा, आजाद नगर, झबरापुरवा एवं चेत्तापुरवा हैं। इन मजरों में भी निवास करने वाली आबादी द्वारा नगर पालिका परिषद द्वारा संचालित पेयजल योजना का लाभ लिया जा रहा है तथा इनको भी किसी भी प्रकार की पेयजल की असुविधा नहीं है। उक्त हरदोई देहात ग्राम पंचायत को नगर पालिका परिषद में शामिल किये जाने हेतु शासन में प्रस्ताव प्रेषित है जिस पर शासन द्वारा अन्तिम गजट भी कर दिया गया है किन्तु अन्तिम गजट होना शेष है। ऐसी परिस्थिति में जल जीवन मिशन का कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किये जाने के दृष्टिगत हरदोई देहात ग्रामीण पेयजल योजना के जोन सं०-03 एवं जोन सं०-04 (आशा नगर, अब्दुलपुरवा, रद्धेपुरवा, आजाद नगर, झबरापुरवा एवं चेत्तापुरवा) के कार्यों को छोड़ते हुये जोन सं०-01 एवं जोन सं०-02 (मन्नापुरवा, धन्नपुरवा, कन्हईपुरवा, प्रेमनगर, गुरुगुज्जा, राधा नगर, शंकरबक्शपुरवा, गंगाबक्शपुरवा, बख्तावरपुरवा, विभूति नगर एवं चित्तरपुरवा) के पेयजल सम्बन्धी कार्य जहां पर उपजिलाधिकारी सदर हरदोई द्वारा पेयजल कार्यों हेतु उपयुक्त निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी गयी है के कार्यों को तत्काल प्रारम्भ कराये जाने की आवश्यकता है।

उक्त के दृष्टिगत जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विकास खण्ड सुरसा की हरदोई देहात ग्रामीण पेयजल योजना के जोन सं०-01 एवं जोन सं०-02 में सम्मिलित मजरों (मन्नापुरवा, धन्नपुरवा, कन्हईपुरवा, प्रेमनगर, गुरुगुज्जा, राधा नगर, शंकरबक्शपुरवा, गंगाबक्शपुरवा, बख्तावरपुरवा, विभूति नगर एवं चित्तरपुरवा) में पेयजल योजना के कार्यों को कराये जाने हेतु संशोधित डी०पी०आर० बनाये जाने, अनुबन्ध गठित कर कार्यों को प्रारम्भ कराये जाने एवं जोन सं०-03 एवं जोन सं०-04 (आशा नगर, अब्दुलपुरवा, रद्धेपुरवा, आजाद नगर, झबरापुरवा एवं चेत्तापुरवा) के पेयजल सम्बन्धी कार्यों को योजना से ड्रॉप किए जाने का निर्णय लिया गया एवं अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित किये जाने वाले पत्र का स्वच्छालेख प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया।


सहायक अभियन्ता
खण्ड कार्यालय,
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हरदोई।

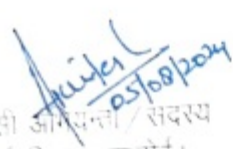

सहायक अभियन्ता,
खण्ड कार्यालय,
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हरदोई।


अधिशारी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) /
सदस्य सचिव,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन हरदोई।


सहायक अभियन्ता / सदस्य
लघु सिंचाई,
हरदोई।


जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी / सदस्य
हरदोई।


जिला कृषि अधिकारी / सदस्य
हरदोई।


अधिशारी अभियन्ता / सदस्य
सिंचाई विभाग, हरदोई।


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी / सदस्य
हरदोई।


मुख्य दिक्कतस अधिकारी / सदस्य
हरदोई।


प्रभागीय प्रशासक अधिकारी
जिला समाजिक एवं वानिकी प्रभाग / सदस्य
हरदोई।


जिला विकास अधिकारी / सदस्य
हरदोई।


मुख्य विकास अधिकारी / सदस्य
हरदोई।


जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
हरदोई।